

दिनांक 16/01/2024 को देहरादून पुलिस ने किया सिटी बस चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार।

दिनांक 16/01/2024 को थाना डालनवाला पर वादी श्री सूरज कुमार पुत्र श्री सुन्दरलाल निवासी कुँआ वाला, जेसीबी शो रूम के पीछे थाना डोईवाला, जनपद देहरादून ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी सिटी बस संख्या UK07T-9308 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तिब्बती मार्केट के सामने पेड ग्राउण्ड की सरकारी पार्किंग से चोरी कर लिया है। प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर थाना डालनवाला पर तत्काल मु0अ0सं0 09/2024 धारा- 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा प्रभारी निरीक्षक डालनवाला को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चैक करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। पुलिस टीम द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से घटना में शामिल 02 अभियुक्तों 1- सोनू उर्फ निखिल पुत्र वीरेन्द्र ,निवासी रायपुर रोड ,तरला आमवाला, शान्ति विहार, थाना रायपुर, देहरादून उम्र-20 वर्ष व 2- दिव्यांशु पुत्र मनोज निवासी काली मन्दिर सी-ब्लाक थाना रायपुर, देहरादून उम्र-19 वर्ष को पुलिस द्वारा कुछ ही घंटों के भीतर वाहन चैकिंग के दौरान आशारोडी बैरियर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में चोरी की गई बस संख्या UK07T-9308 (सिटी बस) को बरामद किया गया एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं साथ ही नशे के आदी है। दोनों के द्वारा अपने नशे की पूर्ति के लिए बस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, बस चोरी करने के उपरांत दोनों अभियुक्त उक्त बस को बेचने के लिए सहारनपुर ले जा रहे थे, दोनों अभियुक्त पूर्व में थाना रायपुर से भी चोरी के अभियोग में जेल जा चुके है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- सोनू उर्फ निखिल पुत्र वीरेन्द्र निवासी रायपुर रोड तरला आमवाला शान्ति विहार, थाना रायपुर, देहरादून उम्र-20 वर्ष
- 2- दिव्यांशु पुत्र मनोज निवासी काली मन्दिर सी-ब्लाक थाना रायपुर देहरादून उम्र-19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

वाहन संख्या UK07T-9308 (सिटी बस) नीले रंग

पुलिस टीम

- 1-SHO राकेश गुसाईं , कोतवाली डालनवाला
- 2- म0उ0नि0 अनिता बिष्ट
- 3- का0 883 आदित्य राठी
- 4- का0 917 विजय कुमार
- 5-का0 1486 जंगवीर सिंह,

